न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 28/2012/75 एलआर एक्ट

धनपत पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी ढाणी मोधूवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत जसाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 28.01.2006 न्यायालय उपखण्डाधिकारी आवंटन नोहर प्र0सं0 230/06 जिसमे रेस्पो0 सं. 1 को भूमि आवंटन की गई, को निरस्त करवाने बाबत

उपस्थित :–

श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता अपीलांट

श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–14.02.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने शिविर प्रभारी जसाना व उपखण्डाधिकारी नोहर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत भूमि आवंटन पेश किया कि चक 5 बी बारानी तहसील नोहर के प.न. 345/394 मु.न. 46 कि.न. 9/0.253, प.न. 325/402 मु.न. 128 कि.न. 8/0.063 कुल 0.316 है0 भूमि राजोराज है जिस पर पुराना कुण्ड बना हुआ है जो पेय जल के काम मे भविष्य को मध्यनजर रखते हुए काम आ सकेगा इसलिए उक्त रकबा आरक्षि किया जावे जिस पर पटवारी हल्का जसाना से रिपोर्ट ली गई और बिना किसी प्रकार की जांच किये उसी समय विधि विरूद्ध आवंटन कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय कानून सम्मत नही होने के कारण खारिज योग्य है। आवंटन दिनांक 28.01.2006 करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया और ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। प.न. 345/394 मे अपीलांट की भूमि है जो उसके नाम से दर्ज है एवं चिपता हुआ

काश्तकार है विवादित भूमि स्माल पैच का रकबा जिसे अपीलांट आवंटन करवाने की पात्रता रखता है उसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। प्रस्तुत दस्तावेजो से यह भलीभांति स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि अपीलांट के चिपते हुए है एवं लगातार कब्जा काश्त मे चली आ रही है। आवंटन विधि विरूद्ध तरीके से किया गया है जबकि रकबा स्माल पैच का है इसलिए स्माल पैच के रकबा को आवंटन करने से पूर्व चिपते हुए काश्तकारो को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है उक्त रकबा को अपीलांट नीलामी मे लेने को भी सहमत है जिससे राज्य सरकार को भी ज्यादा आमदनी होती है। वादग्रस्त रकबा नहरी ऐरिया मे है जहां पर कुण्ड की आवश्यकता नही है ना ही कुण्ड तक जाने का कोई रास्ता है जिससे कुण्ड का उपयोग उपभोग हो सके और ना ही आज तक कभी भी कुण्ड का उपयोग हुआ है सिर्फ भविष्य को ध्यान मे रखते हुए ऐसा किया गया है जिसका कोई महत्व नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर चक 5 बी बारानी तहसील नोहर के प.न. 345/394 मु.न. 46 कि.न. 9/0.253 है0 भूमि का आवंटन दिनांक 28.01.2006 निरस्त किया जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा चक 5 बी बारानी तहसील नोहर के प.न. 345/394 मु.न. 46 कि.न. 9/0.253, प.न. 325/402 मु.न. 128 कि.न. 8/0.063 कुल 0.316 है0 भूमि आराजीराम दर्ज थी जिसका आवंटन ग्राम पंचायत जसाना को किया गया, के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि चक 5 बी बारानी तहसील नोहर के प.न. 345/394 मु.न. 46 कि.न. 9/0.253, प.न. 325/402 मु.न. 128 कि.न. 8/0.063 कुल 0.316 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड मे आराजी सिवाय चक दर्ज थी जिस पर पुराना कुण्ड बना हुआ है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट से साबित है।

6. वादग्रस्त भूमि के आवंटन बाबत ग्राम पंचायत जसाना बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रिपोर्ट एवं प्रस्ताव ग्राम पंचायत के आधार पर विकास की गति को देखते हुये तथा आगामी वर्षो मे हर तरह की सुविधाओ का विस्तार होने के व्यवस्था को ध्यान मे रखते हुये राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प–6(19)राज/06/99/13 जयपुर दिनांक 21.08.1999 की पालना मे वादग्रस्त आराजीराज सिवाय चक को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई। चूंकि

वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख मे आराजीराज सिवाय चक दर्ज थी तथा जिसमे पुराना कुण्ड बना हुआ था। अपीलांट भी उक्त भूमि बतौर अतिक्रमी काबिज है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प–6(19)राज/ 06/99/13 जयपुर दिनांक 21.08.1999 की पालना मे अपीलाधीन निर्णय के जरिये उक्त भूमि आवंटित की है जिसमे बिना किसी औचित्य एवं त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

7. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.01.2006 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

`निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ